अति–आवश्यक
प्रशासन शहरों / गाँवों के संग अभियान, 2021

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राजस्थान,
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ.7(42)जन / प्रशा. शहरों एवं गाँवों के संग अभियान, / 2021 / 10887-11221 **दिनांक :** 01-10-2021

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

समस्त आयुक्त,
विकास प्राधिकरण
अजमेर / जयपुर / जोधपुर।

समस्त सचिव,
नगर सुधार न्यास,
राजस्थान।

समस्त आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका
राजस्थान।

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
राजस्थान।

विषय : प्रशासन शहरों / गाँवों के संग अभियान, 2021 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों / ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विभिन्न पट्टा विलेखों के पंजीयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से प्रशासन शहरों / गाँवों के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न प्रकार के पट्टा विलेख जारी किये जायेंगें। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–17 के अनुसार जारी पट्टा विलेख अनिवार्य पंजीयन योग्य दस्तावेजों की श्रेणी में आने से इनका पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. अभियान अवधि में जारी होने वाले पट्टा विलेखों पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। अतः पक्षकार को जारी **पट्टा विलेख पर वर्तमान में देय स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज, पंजीयन शुल्क एवं अन्य की गणना हेतु श्रेणी वार पट्टा विलेख पर देय ड्यूटी की तालिका सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।** जिसमें जिस श्रेणी का पट्टा जारी किया जा रहा है। उस श्रेणी पर देय ड्यूटी की गणना कर पक्षकार से स्टाम्प ड्यूटी जमा करायी जाये।
2. स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान पक्षकार द्वारा भौतिक स्टाम्प, ई–ग्रास, ई–स्टाम्पिंग, डी.डी. के माध्यम से किया जा सकता है। पट्टे पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज की राशि पट्टा विलेख जारी करने वाले स्थानीय निकाय द्वारा लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. चूँकि पंजीयन का कार्य ऑनलाईन किया जाता है, अतः शिविर स्थल पर पंजीयन कार्य किया जाना संभव नहीं है। पट्टाधारियों की सुविधा हेतु अवकाश के दिन(प्रत्येक शनिवार को) पंजीयन कार्यालय खोलने के आदेश पृथक से जारी किये गये हैं।
4. पक्षकार को पट्टा विलेख जारी कर निर्देशित करें की पट्टा विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में कराया जाना आवश्यक है। बिना पंजीयन के दस्तावेज विधिक साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं हो सकता है।

अतः पक्षकार को पट्टा जारी करने के तत्काल बाद उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन हेतु निर्देशित किया जाये।

5. स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत के प्राधिकारी का दायित्व है कि अभियान अवधि में जारी पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करायी जावे एवं अभियान अवधि में जारी होने वाले पट्टा विलेखों की सूची मय स्टाम्प ड्यूटी जमा का प्रमाण पत्र के साथ संबंधित उप पंजीयक कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें जिससे अभियान अवधि में जारी पट्टा विलेखों का पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके।
6. पंजीयन नियमों के अन्तर्गत दस्तावेजों का पंजीयन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 4 माह तक किया जा सकता है। 4 माह पश्चात पंजीयन शुल्क मय शास्ति के प्रावधान लागू होते है। अर्थात 8 माह पश्चात दस्तावेज पंजीयन योग्य नहीं रहता है। अतः पक्षकार को पंजीयन हेतु निर्देशित किया जाये।
7. यदि पक्षकार द्वारा 8 माह पश्चात दस्तावेज पुनः नवीनीकरण करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिफल राशि की अतिरिक्त 20% **(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%)** राशि पर ड्यूटी देय होती है। अतः पक्षकार को अनावश्यक आर्थिक भार वहन न करना पड़े इस कारण पट्टा विलेख के यथा शीघ्र पंजीयन हेतु निर्देशित करें।
8. अभियान अवधि के दौरान जारी होने वाले पट्टा विलेखों के पंजीयन के संबंध में गणना तालिका विभागीय वेबसाइट https://igrs.rajasthan.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

1/10/21

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः एफ.7(42)जन/प्रशा. शहरों एवं गाँवों के संग अभियान,/2021/11222-11779 **दिनांक :**01-10-2021

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
2. समस्त पूर्णकालीन एवं पदेन उप पंजीयक कार्यालयों को भेजकर लेख है कि पट्टा विलेखों पर देय ड्यूटी की गणना प्रपत्र अनुसार स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान प्राप्त कर दस्तावेजों का पंजीयन सुनिश्चित करावें तथा अभियान अवधि में प्रत्येक शनिवार(6 नवम्बर के अलावा) को कार्यालय खुला रखें तथा पट्टों का पंजीयन सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय, अजमेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करवाये जाने हेतु प्रेषित है।

1.10.21

(ओंकार मल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर